[illegible]

कार्यालय,

अधि. प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राविशिक्षपरिषद लखनऊ/2022/2[illegible] लखनऊ दिनांक: [illegible]

कार्यालय ज्ञाप-

[illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ [illegible] हेतु [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ [illegible] बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा [illegible] हेतु [illegible] पूर्व में सम्बन्धित [illegible] विचार करते हुए [illegible] हेतु [illegible] प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

[illegible] के अनुक्रम में [illegible] परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा [illegible] हेतु [illegible] हेतु सम्बद्धता [illegible] दिनांक [illegible] जारी है।

सत्र का नाम एवं नाम : 2025-GAUTAM BHDOHA COLLEGE OF PHARMACY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीईएवं पीएसीएआई द्वारा सत्र 2025-26 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2025-26 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
[illegible]	[illegible] PHARMACY	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ [illegible]

✓ [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992 [illegible] 2020 [illegible] 50,000/- [illegible] हेतु रू० 20,50,000/- [illegible] हेतु रू० [illegible] प्रवेश [illegible] हेतु रू० [illegible] अतिरिक्त शुल्क [illegible] प्रदान किया जाना [illegible] होगा। [illegible] समिति द्वारा [illegible] सत्र 2022-23 हेतु [illegible] पुनर्विचार किया जाना [illegible] होगा।

✓ [illegible] परिषद द्वारा [illegible] की [illegible] किया जायेगा।

✓ [illegible] के अनुसार [illegible] सम्बद्धता शुल्क देय होगा।

[illegible]

✓ [illegible] प्रवेश [illegible] द्वारा निर्गत [illegible] एवं नोटरी, प्राविधिक शिक्षा [illegible], उ0प्र0 राज्य परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा जारी एवं नियम, [illegible] विभिन्न [illegible] करने के लिये बाध्यकारी है।

✓ यदि [illegible] द्वारा [illegible] के अनुपालन नहीं किया जाता है तो उस संबंध में शासन, अथवा बिना [illegible] होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही का लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संबद्धता प्रदान समीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी [illegible] शासन शिक्षा प्रदान है तथा शासन द्वारा [illegible] में [illegible] हुआ किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो संस्था [illegible] संबंधित संस्था की जवाबदेही होगी।

✓ [illegible] के अधीन [illegible] परीक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा प्रदान [illegible] प्रदान हेतु अपनाये जाने वाले [illegible] प्रदान [illegible] की [illegible] में अनुपालन प्रदान कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रदान की [illegible] के माध्यम से प्रदान परीक्षा के आयोन पश्चात्वीय [illegible] अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

✓ [illegible] द्वारा [illegible] हेतु [illegible] के लिये [illegible] नियमों का अनुपालन करना [illegible] होगा।

✓ संस्था को अपने [illegible] एवं संस्था की भावी भवनों, गैस संस्था की [illegible] पाइप लाइन, [illegible], उपकरण, प्राप्त [illegible] वाले [illegible], [illegible] इत्यादि आदि के विवरण उपलब्ध कराना होगा।

✓ संस्था को [illegible]-परिक्षण हेतु [illegible] [illegible] के साथ [illegible] होने पर संस्था में [illegible] [illegible] [illegible] होगी।

✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में फार्मेसिस्ट [illegible] [illegible] की [illegible] हेतु [illegible] समिति से [illegible] उपलब्ध कराने की अनिवार्य भूमि भवन, [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] दिनांक: [illegible]

संख्या:- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

[illegible]

[illegible]

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

(कुंजबिहारी राजपूत)

तारीख

पृ.सं.- [illegible] दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि:

[illegible] GAUTAM BUDDHA COL. FOR OF PHARMACY GAUSAI ROAD BIJNAUR LUCKNOW-[illegible]

(सुनील कुमार श्रीवास्तव)

[illegible] प्राधिकरण [illegible] परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: [illegible]/[illegible]/2020/[illegible] लखनऊ दिनांक: 15 9 2020

[illegible] आदेश

[illegible] परिषद [illegible] वर्ष 2020-21 के लिए [illegible] परिषद [illegible] के अनुसार [illegible] परिषद [illegible] के अनुसार [illegible] वर्ष 2020-21 के लिए [illegible] परिषद [illegible] के अनुसार [illegible] वर्ष 2020-21 के लिए [illegible] परिषद [illegible] के अनुसार [illegible] त्रुटि सहित अंक नहीं पर [illegible] वर्ष 2020-21 के लिए [illegible] दिया गया।

[illegible] के अनुपालन में [illegible] समिति की बैठक दि [illegible] में [illegible] समिति [illegible] के समक्ष [illegible] का प्रस्तुतीकरण किया गया। [illegible] समिति [illegible] दिशा-निर्देश [illegible] दिये गये।

[illegible] के [illegible] दिशा-निर्देश इस समिति [illegible] वर्ष 2020-21 के लिए [illegible] दिया गया है। इस [illegible] में [illegible] के अनुसार [illegible] के अनुपालन [illegible] के अनुपालन [illegible] वर्ष 2020-21 के लिए [illegible] के अनुसार [illegible] दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को [illegible] समिति की बैठक में दिये गये [illegible] निर्देश के अनुपालन में [illegible] का [illegible] दिया [illegible], [illegible] द्वारा वर्ष 2020-21 के निम्नलिखित मदों के अंतर्गत [illegible] प्रति [illegible] के अनुपालन निम्नवत प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2020	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] हेतु शर्तें

- [illegible]
- [illegible] प्राधिकरण [illegible] परिषद [illegible] प्राधिकरण [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] के

✓ [illegible] अधिनियम तथा [illegible] नियमावली [illegible] के [illegible] नियम तथा विनियमावली-2002 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

✓ [illegible] के पात्रता प्राप्त [illegible] अधिनियम [illegible] की [illegible] [illegible] तिथि से [illegible] के [illegible] तिथि के अन्दर [illegible] के निर्देशानुसार [illegible] की जायेगी।

✓ [illegible] के [illegible] के अनुसार [illegible]।

✓ [illegible] के [illegible] / [illegible] से [illegible]।

✓ [illegible] अधिनियम तथा [illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible] अधिनियम, [illegible] अधिनियम, [illegible] अधिनियम तथा [illegible] नियमावली का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

✓ [illegible] की [illegible] के [illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible] /